FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

श्रीमती मंजूदेवी w/o सत्यनारायण मुन्दड़ा नि. [illegible] हाल नि. चित्तौड़गढ़ बनाम राज्य सरकार [illegible] तहसीलदार चित्तौड़गढ़

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 382 सन् 2023 (2023/367)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/24 पेशी ता.की. 19 05/02/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेशकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती मंजूदेवी ने विरुद्ध विपक्षी अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरियाना प०ह० धनेतकला तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आ.नं. 601 श्री कन्हैयालाल कलाल के नाम से स्थित थी. इस आराजी मे पूर्व की तरफ 0.2778 जमीन सम्पूर्ण हक, हकूक व सुखाधिकार सहित प्रार्थिया मंजूदेवी एवं श्रीमती आशादेवी मुन्दड़ा ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। तत्पश्चात आशादेवी द्वारा हक त्याग से उक्त वर्णित आराजी प्रार्थिया मंजूदेवी के नाम खातेदारी से दर्ज हुई। विक्रय से इस आराजी के नम्बर 726/601 पड़े है। प्रार्थिया की इस खरीदशुदा आराजी का नक्शा ट्रेस मे अंकन नही होने से आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। आ.नं. 601 के पास स्थित चाह नम्बर .....लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रा.पत्र 382/2023 (2023/367)
	600 को भी मौके के अनुसार नक्शा ट्रेस मे सही नही दर्शा रखा है, इसलिए इस चाह का अंकन भी मौके के अनुसार नक्शे मे अंकन किया जाना न्यायोचित है अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरियाना प०ह० घटेतकला की खातेदारी आ०नं० 726/601 रकबा 0.2778 का राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस मे क्रयशुदा आराजी पूर्वी तरफ का अंकन किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा मौके के अनुसार इस आराजी पर स्थित आराजी चाह को नक्शा ट्रेस मे सही अंकन किए जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बोरियाना प०ह० घटेतकला के आराजी नम्बर 601 मे से 0.2778 हे० भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदी है। मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी हुई उक्त भूमि आ०नं० 601 से पूर्व दिशा मे होकर आ०नं० 599 से लगी हुई है अत: मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नक्शे मे तरमीम किया जाना स्वीकार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम बोरियाना की आ०नं० 601 मी० मे से क्रयशुदा रकबा 0.2778 हे० का जमाबन्दी मे अमल हो चुका है लेकिन राजस्व नक्शा ट्रेस मे अंकन नही हुआ है। अत: प्रार्थीया द्वारा ...... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिंयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रा० पत्र 382/2023 (2023/367)	
क्रय शुदा रकबा का विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व नक्शे मे अंकन किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत प्रस्तुत हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 136 LR Act के तहत गत सेटलमेन्ट के मुकाबले नवीन रेकार्ड मे कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे शुद्ध किए जाने के प्रावधान है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण क्रय शुदा रकबा का विक्रय पत्र अनुसार नक्शे मे तरमीम किए जाने बाबत है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत पोषणीय नही है, किन्तु प्रार्थिया ने विक्रय पत्र अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम किए जाने की प्रार्थना की है। विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत होने के साथ ही क्रयशुदा आराजी का नक्शे मे तरमीम हो जाना चाहिए था। अतः प्रार्थिया की प्रार्थना स्वीकार की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बोरदियाकलां प०ह० धनेतकलां स्थित आराजी खसरा 726/601 रकबा 0.2778 हे. जो प्रार्थिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है, का विक्रय पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे मे तरमीम किया जावे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner